

Affidavit



Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government



Date : 22/12/2025

Certificate No. K0V2025L38



Stamp Duty Paid : ₹ 101

GRN No. 142958711



(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Deponent

Name : Shree sai education society Jind

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

Landmark : Opp old bus stand shiv colony

City/Village : Jind

District : Jind

State : Haryana

Phone : 79*****84



Purpose : rent agreement to be submitted at Na

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR code Through smart phone or on the website <https://e-grassroots.nic.in>



इकरारनामा/किरायानामा रसूम 101/-रूपये।

मनकी Shree Sai Education Society Jind साकिन पुराना बस स्टैण्ड शिव कालौनी, जीन्द जिला जीन्द बजरीये प्रेजीडेन्ट जोगिन्द्र कुमार (आ0 न0: 7876 2186 2843) पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी गांव भडताना तह सफीदो जिला जीन्द का मिकर/किरायेदार हूँ। जो कि मुझ मिकर ने एक किता बिल्डिंग वाका रकवा पुराना बस स्टैण्ड शिव कालौनी, जीन्द जिला जीन्द को बनाम मालिक श्रीमान ईश्वर दत्त पुत्र श्री हर नारायण सिंह निवासी गांव रामराये तह व जिला जीन्द को निम्नलिखित शर्तों पर किराये पर देने का इकरार करता हूँ। जिसकी शरायत जैल इस प्रकार से है:-

1. यह है कि उपरोक्त किरायेशुदा जंगह की किराया मियाद 04 वर्ष दिनांक: 01/04/2023 से दिनांक: 31/03/2027 तक तय पाई है।
2. यह है कि उपरोक्त किरायेशुदा जंगह का किराया मु0: 12,000/-रूपये (बारह हजार रूपये केवल) प्रति माह के हिसाब से तय पाया है। जो कि किरायेदार किराया हर माह की 05 तारीख तक पेशगी नकद/चैक/आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी अनुसार एडवान्स अदा करेगा। नकद की सुरत में रसीद लेगा। बिना रसीद किराया मंजूर ना होगा।
3. यह है कि किरायेदार उपरोक्त किरायेशुदा जंगह में Shree Sai Education Society Jind के अन्तर्गत लाईब्रेरी, कोचिंग सेन्टर व कंप्यूटर कोचिंग आदि व इससे सम्बन्धित कार्य स्वयं करेगा। इसके अलावा अन्य कोई कार्य या कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा तथा ना ही कोई ऐसा कार्य कर सकेगा जो जनहित में ना होगी और ना ही किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन आदी करेगा। यदि करता पाया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी हर प्रकार से किरायेदार की होगी।

22 DEC 2025



Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि उपरोक्त किरायेशुदा जंगह में किरायेदार किसी प्रकार की तोड़-फोड़, एलटरेशन या रद्दो बदल आदी ना कर सकेगा। यदि कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार की तोड़ फोड़ या रद्दो बदल आदी करनी पडती है तो मालिक की सहमती से कर सकेगा और उसकी अदायगी की जिम्मेवारी हर प्रकार से किरायेदार की स्वयं की होगी। जो कि किराये से अलग होगी।
5. यह है कि उपरोक्त किरायेशुदा जंगह को किरायेदार आगे किसी दीगर, दीगरान को किराये आदि पर ना दे सकेगा, ना ही सेबलेट करेगा।
6. यह है कि किरायेदार उपरोक्त किरायेशुदा जगह में लगे पानी, बिजली, सीवर, आदी कनैक्शनो के बिलो की अदायगी की जिम्मेवारी व बिजली चोरी तथा मीटर आदी छेड़ छाड़ की जिम्मेवारी व कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का टैक्स लगता है तो किराये मियाद अनुसार किरायेदार की स्वयं की होगी। जो कि किराये से अलग होगा। यदि किरायेदार कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार का लाईसैन्स व जी.एस. टी लेना चाहेगा तो ले सकेगा। जिसमें मुझ मालिक को कोई एतराज नहीं होगा।
7. यह है कि किरायेदार उपरोक्त किरायेशुदा जंगह को मियाद समाप्ती पर उसी सुरत में वापस मालिक के हवाले करेगा। जिस सुरत में कब्जा मौका पर दिया गया है और उपरोक्त कनैक्शनो का नो-डयूज देने का पाबन्द होगा।
8. यह है कि उपरोक्त किरायेशुदा जंगह के अलावा किसी अन्य हिस्से से किरायेदार का कोई वास्ता ना होगा परन्तु मालिक उनका प्रयोग किसी भी सुरत में कर सकेगा जिसमें किरायेदार को कोई एतराज ना होगा।
9. यह है कि यदि मालिक उपरोक्त किरायेशुदा जंगह को मियाद से पहले खाली करवाता है तो मालिक किरायेदार को दो माह का एडवान्स नोटिस देगा और यदि किरायेदार मियाद से पहले खाली करता है तो किरायेदार मालिक को दो माह का एडवान्स नोटिस देगा।
10. यह है कि किरायेदार मियाद समाप्ती बाद किराये पर रहता है मालिक की सहमती से रह सकेगा और नई शर्तो के हिसाब से नया किरायानामा लिखवाने का पाबन्द होगा। जिसमें किरायेदार को कोई एतराज नहीं होगा।
11. यह है कि किरायेदार यदि उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त की उलंघना करता है या लगातार तीन माह तक किरया अदा नहीं करता है तो मालिक को बिना नोटिस दिये किरायेशुदा जंगह को खाली करवाने का पुरा पुरा हक होगा और मालिक को उपरोक्त किरयेशुदा जंगह पर अपना ताला लगाने का पुरा पुरा हक होगा। जिसमें किरायेदार को कोई एतराज नहीं होगा।
12. यह है कि मालिक जब चाहेगा किरायेशुदा जंगह का निरक्षण कर सकेगा। जिसमें किरायेदार को कोई एतराज नहीं हेगा।

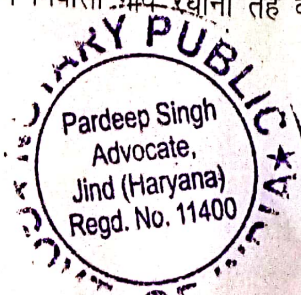
लिहाजा यह ईकरारनामा किरायानामा मुझ किरायेदार व मालिक के कहे अनुसार बिना किसी दबाव व धककाउ के लिखा दिया है कि सन्तु रहे व समय पर काम आवे मिति: 22/12/2025 मुकाम जीन्द।

किरायेदार **Shree Sai Education Society Jind**
बजरीये प्रेजीडेन्ट जोगिन्द्र कुमार

मालिक ईश्वर दत्त

गवाह 1: सुमित पुत्र श्री जय भगवान निवासी गांव रधाना तह व जिला जीन्द।

गवाह 2:



ATTESTED
PS. Kishore
PARDEEP SINGH
NOTARY PUBLIC
JIND (HARYANA)

22 DEC 2025

